संख्या-52/2025/854-22-4-2025-1411869

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 17 नवम्बर, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माणाधीन जिला कारागार श्रावस्ती के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29714/नम-3/श्रावस्ती/2025, दिनांक 23.07.2025 एवं पत्र संख्या-33673/नम-3/श्रावस्ती/2025, दिनांक 26.08.2025 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-श्रावस्ती में नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत परियोजना लागत रू0 11083.55 लाख में जी०एस०टी० की धनराशि रू0 228.85 लाख सम्मिलित करते हुए लागत धनराशि **रू0 11312.40 लाख (रू0 एक अरब तेरह करोड़ बारह लाख चालीस हजार मात्र)** की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(3) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पी0एफ0ए0डी0 के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(7) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक कारागार द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(10) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं दिनांक 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(11) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपकरणों/सामग्री का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(12) प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। महानिरीक्षक कारागार द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(13) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

(14) महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज किये जाने आदि के संबंध में नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) महानिरीक्षक कारागार प्रश्नगत प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत की शुद्धता के संबंध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(16) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12 की अशासकीय संख्या-E-12-351-X-2025-26, दिनांक: 14.11.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-52 /2025/854(1)-22-4-2025-1411869-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in